भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून 25 सुभाष रोड, देहरादून—248001 दूरभाषः 0135—2650809 फैक्स—0135—2653010 ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &

CLIMATE CHANGE

INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 95 / 2021 / एफ0 सी0 / 🛂 🔎

दिनांकः 29/09/2021

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:— जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुति में राज्य योजना के अन्तर्गत डुंगरा (बच्छणस्यू) सं आरण्रुयूं तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.69 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/121750/2021)

सन्दर्भ:--कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक --697 / FP/UK/ ROAD/121750/2021 दिनांक 09-09-2021

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है। अतः राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:—

- 1. On perusal of the KML file of the proposal, it is noticed that proposed area is already connected with a parallel road. State Government may submit justification for an additional road in this regard.
- 2. On perusal of the area proposed for CA, the area appears abandoned. State Government may direct the DFO to visit the site selected for CA and submit the Site Inspection Report.
- 3. Muck disposal plan is found incorrect. The total muck likely to be generated is calculated as 26775 cum + 10710 cum (Swell factor) which come to 37485 cum. Muck likely to be reused is mentioned as 8475 cum but the muck disposal plan is submitted for only 10800 cum muck instead of 29000 cum muck. State Government may submit clarification in this regard and provide the correct muck disposal plan.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

> ्**मारा अन्यर** उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(मीरा अय्यर)

उप महानिरीक्षक, वन (के०)